अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहत प्रा०पत्र O9R9 CPC सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 06/08/25 को पेश हो।

[signature] 25/6/25

06/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र O9R9 CPC दि० 18/08/25 को पेश हो।

[signature] 06/8/25

18/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहत प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश मूल राजस्व वाद स० 693/2004 परथीसिंह बनाम हरिसिंह वगै० की आदेशिका दिनांक 29/03/2016 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण प्रा० डिक्री दिनांक 30/8/2008 की पालना मे TDR पिड़ावा के बटवारा प्रस्ताव मे निष्पादन चल रहा था। [illegible] मे इस कोर्ट द्वारा दिनांक 30/8/2008 को [illegible] गई थी और [illegible] पिड़ावा द्वारा 08 वर्षो से बटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश नही किया। दिनांक 06/06/2016 की आदेशिका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण राजस्व लोक शिविर हालमाओर में पेश हुआ था जहां इसे आवश्यक कागजात की अनुपस्थिति में अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था जो विधिक प्रावधानों तथा लोक अदालत की मूल भावना के विरुद्ध है।

यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "राजस्व लोक अदालत" या शिविरों में केवल उन्हीं प्रकरणों को पेश करना होता है जो आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से त्वरित व कियायती रूप से निस्तारित किये जा सकते हैं। राजस्व लोक अदालत एक alternative dispute resolution system है जो सहमति व समझौते के माध्यम से न्यायालयों में pending cases को लोगों की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निस्तारित करना न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके बल्कि पक्षकारों को अपने घर में ही सुलभ न्याय मिल सके अतः The spirit of the Revenue lok adalat is "justice at your doorstep" to provide speedy and economical settlement of revenue suits. Lok [illegible] the spirit of mitigation and [illegible] parties develop respect and understanding for each other and saving people from lengthy and costly court proceedings also.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

राजस्व लोक अदालतों में जबरदस्ती प्रकरण को हल नहीं किया जा सकता और ना ही पक्षकारों के absent रहने पर प्रकरण को अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है।

In the case of Kripal singh v/s state of Rajasthan & Anr. S.B. Criminal Misc 2024 में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिपादित किया है कि "Lok adalat does not have the power to 'dismiss' a case owing to default in appearance by parties". The court highlighted section 20(5) of the legal Services Authorities Act 1987 as per which where Lok adalat is not able to make an award due to no Compromise or settlement being reached between the parties, the record of the case needs to be returned.

The Apex Court in the case of State of Punjab & Anr. v/s Jalour Singh & ors. 2008 (supra) has also held that "Lok adalats have no adjudicatory or Judicial functions".

प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैंप [illegible] दावलाओज में पेश करने [illegible] (व प्रतिवादीगण) को [illegible] होना भी जाहिर नहीं [illegible] 9 to 20 के प्रावधानों के विरुद्ध है। [illegible] प्रकरण में जो, पटवारी प्रस्ताव से निपटा था, को तकनीकी आधार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म व में ज
	पर नहीं बल्कि गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना न्यायोचित होगा ।	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिगण का प्रा० पत्र० 0 9 R 7 cpc स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06/06/2016 को set-aside किया जाता है। मूल प्रकरण की मिसल रिकार्ड रूम से तलब किया जावे। प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर मिसल से कम होकर तलब किये गये मूल रिकार्ड के साथ संलग्न हो।	
	18/8/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner